न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 38/2019

उनवान

1. भंवर सिंह जरियें सरपंच ग्राम पंचायत ढाल, प. स. श्रीनगर, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.6.19

वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढज्ञल की निम्न आराजी जो पूर्व में सिवायचक थी को हाल राजस्व अभिलेख में चरागाह इर्ज कर दिया गया।

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1442	1456	3.18	3037	20.51 में से 18.49
1641	2396	7.18		
1438	2434	10.15		

उक्त आराजी सिवायचक चली आ रही थी जिसे त्रुटिपूर्वक चरागाह दर्ज कर दिया। जिस कारण ग्राम पंचायत ढाल के आबादी विस्तार, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, नरेगा रोड इत्यादि के लिये भूमि की आवश्यकता है। व ग्राम पंचायत में चरागाह हेतु पूर्व में ही पर्याप्त आराजी है। अतः उक्त आराजी को पूर्व की भाति सिवायचक दर्ज किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी चरागाह के रूप में दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में सिवायचक के रूप में दर्ज थी ?
——वादी
2. आया वादी हाल राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती का अधिकारी है ?
—— वादी
3. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं वादी का शपथ पत्र पेश किया।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबन्दी में सिवायचक खाते में दर्ज थी। वर्किंग जमाबंदी जीर्ण शीर्ण है। बंदोबस्त से चरागाह दर्ज होना प्रतित हो रहा है। हाल जमाबन्दी में भूमि चरागाह दर्ज है। चरागाह होने बाबत कोई आदेश पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नही है।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

वादग्रस्त आराजी चौसाला जमाबंदी में सिवायचक दर्ज थी। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी चरागाह दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त आराजी बिना किसी आदेश या नामान्तकरण के सिवायचक से चरागाह दर्ज कर दी गयी। राज0 पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त आराजी किस आदेश या नामान्तकरण से चरागाह दर्ज की गयी। वादग्रस्त आराजी को पूर्व अभिलेख की भमि हाल जमाबंदी में भी सिवायचक दर्ज करना था। किन्तु बंदोबस्त विभग ने बिना किसी आदेश के पूर्व इन्द्राज दोहराने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से उक्त आराजी को चरागाह इर्ज कर दिया तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार सिवायचक से चरागाह में दर्ज करने का कोई आदेश उनके पास उपलब्ध नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। हाल खसरा नम्बर 3037 रकबा में से 2.02 खेल मेदान के रूप में दर्ज है। शेष रकबे 18.49 पर वादी दुरूस्ती का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम ढाल के हाल खसरा नम्बर 3037 रकबा 18.49 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी को राजस्व अभिलेख में चरागाह खाते के बजाय सिवायचक खात में दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवर सिंह बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 38 / 2019
पेश करने की दिनांक – 24.4.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम ढाल के हाल खसरा नम्बर 3037 रकबा 18.49 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी को राजस्व अभिलेख में चरागाह खाते के बजाय सिवायचक खात में दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 06 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner